

1. वेतन वृद्धियों का निकालना :-

सामान्यतः वेतन-वृद्धि स्वाभाविक रूप से निकाली जानी चाहिए जब तक कि वह रोकी न गई हो। [वि.वि.क्र. जी-22/6/94/सी-चार दिनांक 29-8-96 एवं संशोधित मू.नि. 24]

2. वेतन वृद्धि हेतु सेवा अवधि :-

- (1) समयमान पद पर किया गया संपूर्ण कर्तव्यकाल,
- (2) कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य मौलिक या स्थानापन्न पद पर की गई सेवा,
- (3) भारत के बाहर की प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा,
- (4) सभी प्रकार की अवकाश अवधि (चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वैज्ञानिक तकनीकी अध्ययन या शासकीय कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से लिए गए असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार से लिये गये असाधारण अवकाश को छोड़कर),
- (5) संवर्ग में धारित स्थाई पद से किसी अन्य पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त होने की दशा में, परिवीक्षा अवधि,
- (6) स्थानापन्न दशा में प्रशिक्षण पर जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि परंतु प्रशिक्षण काल में स्थानापन्न वेतन दिया होना चाहिए,
- (7) एक पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए अन्य पद पर स्थानापन्न नियुक्ति होने पर तो पहले पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर दूसरे पद पर की गई सेवा अवधि,
- (8) संवर्ग के बाहर के पद से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर संवर्ग से बाहर के पद पर की गई सेवा की अवधि,
- (9) बाह्य सेवा,
- (10) पदग्रहण काल

[मू.नि. 26]

3. वेतन वृद्धि हेतु संगणित न की जाने वाली अवधि :-

- (1) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना लिया गया असाधारण अवकाश। [मू.नि. 26]
- (2) स्वीकृत अवकाश से अधिक ठहरने की अवधि जिसे अकार्य दिवस माना गया हो। [मू.नि. 26]
- (3) नियमित न की गई पदग्रहणकाल से अधिक ठहरने की अवधि जिसे अकार्य दिवस माना गया हो।
- (4) कर्तव्य पर न मानी जाने वाली निलम्बन काल की अवधि। [मू.नि. 54]

(5) मू.नि. 15 में संदर्भित कम वेतन पाने वाले पद पर स्थानांतरण होने पर पद ग्रहण काल की अवधि।

4. असाधारण अवकाश पर वेतन वृद्धि की गणना पद्धति :-

एक शासकीय कर्मचारी को निम्नलिखित अवधियों के असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य मामले में लिया गया) जो वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जाता -

29-7-99 से 31-7-99	3 दिन
15-7-99 से 20-7-99	6 दिन
7-10-99 से 15-10-99	9 दिन
18-12-99 से 21-12-99	4 दिन
26-1-2000 से 28-1-2000	3 दिन
16-3-2000 से 19-3-2000	4 दिन

योग 29 दिन

पिछली वेतन वृद्धि की तिथि 23-4-1999

अगली वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि
(यदि असाधारण अवकाश न लिया होता) 23-4-2000

असाधारण अवकाश का योग = 29 दिन

अगली वेतन वृद्धि की तिथि 23-4-99 + 29 दिन

अर्थात् 22-5-2000

5. वेतनमान में समय से पहिले वेतन-वृद्धि :-

राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम 27 में संशोधन किया जा कर समय से पूर्व वेतन-वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को है।

[वि.वि.क्र. जी-30/1/95/सी/चार दिनांक 30-12-95]

6. वेतन-वृद्धि की तिथि माह की पहली तारीख :-

शासकीय कर्मचारियों को उनके पद के वेतनमान में प्राप्त होने वाली वार्षिक वेतन-वृद्धि सामान्य नियमों तथा तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत जिस महीने की किसी तारीख को वस्तुतः देय हो, उसी महीने की पहली तारीख से स्वीकार की जाती है। असाधारण अवकाश तथा पदोन्नति के कारण जिन प्रकरणों में वेतन-वृद्धि का दिन परिवर्तित हो उन प्रकरणों में भी सामान्य नियमों तथा तत्संबंधी आदेशों के अनुसार अगली वेतन-वृद्धि प्राप्त होने पर जिस महीने में वह वेतन-वृद्धि देय हो उसी महीने की पहली तारीख से ही उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाती है।

[वि.वि.क्र. डी/10-10/नि-1/चार/74 दिनांक 10-9-74]

यदि किसी शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति उसी माह होती है जिस माह में निम्न पद की वेतन-वृद्धि भी है तो पहिले शासकीय कर्मचारी को निम्न पद पर वेतन-वृद्धि दी जायेगी तथा उसके बाद उच्च पद पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

यदि कोई कर्मचारी वास्तविक वेतन-वृद्धि के माह की पहली तारीख से वेतन-वृद्धि के दिनांक तक अवकाश पर है तो वेतन-वृद्धि का लाभ अवकाश से लौटने पर ही प्राप्त होगा।

[वि.वि.क्र. 1180/1776/79/नि-1/चार दिनांक 14-9-79]

7. स्नातकोत्तर तथा अन्य उपाधियों हेतु अग्रिम वेतन-वृद्धियां :-

(1) शासकीय सेवा में कार्यरत इंजीनियरों अथवा डॉक्टरों को स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हताएं तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों के अन्वेषणात्मक उपाधियों (Ph.D., D.Sc., D.Litt.) होने पर उन्हें दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां देने का प्रावधान है।

(2) किसी पद पर नियुक्ति के लिये यदि ये अर्हताएं न्यूनतम रूप से आवश्यक मानी जाती हो तब ये वेतन-वृद्धियां देय नहीं होगी।

(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टरों को एक अग्रिम वेतन-वृद्धि की पात्रता है।

(4) पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों को भी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन-वृद्धियों की पात्रता है।

(5) यदि संबंधित शासकीय सेवक अपने वेतनमान के अधिकतम पर है तो उसे उपरोक्त वेतन-वृद्धि/वेतन-वृद्धियां अंतिम वेतन-वृद्धि की दर के बराबर दी जावेगी परन्तु यह व्यक्तिगत वेतन माना जावेगा।

(6) नियुक्ति तिथि को स्नातकोत्तर डिग्रीधारी होने की दशा में उक्त वेतन-वृद्धियां नियुक्ति तिथि से अथवा नियुक्ति पश्चात् जब कभी डिग्री प्राप्त करे उक्त वेतन-वृद्धियां परीक्षा फल घोषणा तिथि से देय हैं।

टीप - किसी कार्मिक द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप बार-बार (दो/एक क्रमशः) अग्रिम वेतन-वृद्धियां स्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अग्रिम वेतन-वृद्धियां स्वीकृत किया जाना मात्र प्रोत्साहन स्वरूप है।

[सा.प्र.वि. क्र. सी.-2-2/92/3/1 दिनांक 18-11-1992]

8. न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप वेतन-वृद्धि :-

न्यायालयीन प्रकरणों में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रभारी अधिकारियों जिनकी सतर्कता एवं पहल के कारण शासन को लाभ हुआ हो, को एक विशेष वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जाय तथा उन्हें एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाय। इस वेतन वृद्धि का लाभ उनके प्रचलित वेतनमान में ही उपलब्ध होगा, पदोन्नति के फलस्वरूप प्रदत्त नये वेतन मान में नहीं। इस संबंध में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा पात्रता का विनिश्चय किया जावेगा। समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

- (1) अपर मुख्य सचिव - अध्यक्ष
- (2) प्रमुख सचिव सा.प्र.वि. - सदस्य
- (3) प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग - सदस्य
- (4) प्रमुख सचिव वित्त विभाग - सदस्य
- (5) संबंधित विभाग/जिस विभाग के प्रकरणों पर विचार किया जाना है के प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य सचिव

समिति के अनुशंसा पर ही संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी। वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। [सा.प्र.वि. क्र. सी.-3-6/98/3/1 दिनांक 27-3-98]

9. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धियाँ :-

इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 18-9-2002.

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि “यदि जीवित एक बच्चे के पश्चात् जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, जो दो बच्चों की अधिकतम सीमा पार कर जाती है तो ऐसी स्थिति में भी नसबंदी कराने पर पैरा-1 के क्रमांक (2) की व्यवस्थानुसार एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।”

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 65/8/वि/नि/चार/03, दिनांक 27-1-2003 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है।

[सा.प्र.वि. क्र. एफ-6-1/2002/1-3, दिनांक 30-12-2003/30-1-2003]

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम प्रसव में ही जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक बच्चे की अधिकतम सीमा पार हो जाती है ऐसी स्थिति में नसबंदी कराने पर प्रथम प्रसव होने के कारण उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की पैरा-1 के क्रमांक (1) की व्यवस्थानुसार शासकीय सेवक को दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।

2. इस संबंध में वित्त विभाग यू.ओ. क्रमांक 370/2005/रूल/चार दिनांक 15-7-2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

[सा.प्र.वि. क्र. एफ 6-1/2002/1-3, दिनांक 28-7-2005]

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतनवृद्धि :-

राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत

में किराया का मकान लेता हो तो भी उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। अर्थात् कर्मचारी अब दोनों में से किसी एक स्थान पर मकान किराये पर ले सकता है।

[गृह (पुलिस) विभाग क्रमांक 2ए/68/77/2ब (4) दिनांक 5 जुलाई 1983]

मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पात्रता अनुसार घोषणा पत्र भरना पड़ता है जिसका प्रारूप निम्नानुसार संलग्न है (किराये के मकान में रहने वाले के लिए घोषणा पत्र (अ) स्वयं के मकान में रहने वाले के लिए घोषणा पत्र (ब) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार घोषणा पत्र (स) भी भरा जाना आवश्यक है।

2. नगर क्षतिपूर्ति भत्ता - (अ) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक 60/65/2001/नि/चार/दिनांक 13-2-2001/रायपुर द्वारा रायपुर शहर को बी श्रेणी में रखते हुए यहाँ पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1 नवम्बर 2000 से रु. 75/- प्रतिमाह की दर से नगर क्षतिपूर्ति भत्ता की पात्रता होगी। पात्रता संबंधी अन्य प्रावधान म. प्र. शासन द्वारा पूर्व में जारी प्रावधान अनुसार यथावत रहेगा।

(ब) राज्य शासन द्वारा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भिलाई, दुर्ग में पदस्थ कर्मचारियों को भी प्रतिमाह रु. 25/- दिये जाने का मध्यप्रदेश शासन के आदेश को विलोपित नहीं किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ शासन के कार्यरत कर्मचारियों को दुर्ग भिलाई में पदस्थ होने पर रु. 25/- प्रतिमाह बी-2 श्रेणी के शहर होने के एवज में देय होगा।

(स) राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर एवं कोरबा की आबादी ढाई लाख से अधिक होने के कारण उक्त शहर में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रुपये 50/- प्रतिमाह की दर से नगर क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करता है। यह दर दिनांक 1-6-2008 से प्रभावशील होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 113/1476/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 27-5-2008]

3. परियोजना भत्ता - यह परियोजना भत्ता राज्य शासन द्वारा निर्देशित नियमानुसार ही छत्तीसगढ़ में परियोजना भत्ता स्वीकृत है। जिसकी दरें निम्नानुसार है जो वेतन पुनरीक्षित वेतनमान 1987 के आधार पर देय है :-

1. रु. 1,055 से कम वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 40/-
2. रु. 1,056 से रु. 1720 तक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 75/-
3. रु. 1721 से रु. 2300 तक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 125/-
4. रु. 2301 से अधिक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 150/-

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परिधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

4. वाहन भत्ता - ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें अपने मुख्यालय पर या इससे कुछ दूर नियमित यात्रा करनी पड़ती है जिसके बदले में उन्हें दैनिक भत्ते की पात्रता नहीं होती उन्हें

14. शीघ्रलेखकों को द्विभाषी भत्ता - राज्य शासन के ऐसे सभी द्विभाषी शीघ्रलेखकों को भत्ता देय होगा जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शीघ्रलेखन में आर्हता रखते हो तथा द्विभाषी शीघ्रलेखक के रूप में कार्य करते हो। तभी उन्हें रु. 375/- प्रतिमाह द्विभाषी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-1/वे आर प्र/95 दिनांक 18/27-7-1995 के अनुसार 1-4-95 से देय होगा।

15. स्टेनो टायपिस्ट एवं दफ्तरियों को देय विशेष वेतन में वृद्धि - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्टेनो टायपिस्ट के लिए स्वीकृत विशेष वेतन रु. 125/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु. 250/- प्रतिमाह एवं दफ्तरियों को देय विशेष वेतन रु. 50/- को बढ़ाकर रु. 100/- प्रतिमाह किया जाए।

यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2013 से प्रभावशील होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 220/एफ 2013-01-00051/वि/नि/चार, दिनांक 27-6-2013]

16. महंगाई भत्ता - छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय-समय पर वेतन पर महंगाई भत्ता घोषित किया जाता है। वर्तमान में वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है :-

देय तिथि	पे बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1-1-2006 से 31-12-2006	शून्य	
1-1-2007	2%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-7-2007	6%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2008	9%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2008	12%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2009	16%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-10-2009	22%	317/301/वि/नि/चार, दिनांक 13-10-2009
1-4-2010	27%	96/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 20-4-2010
1-10-2010	35%	318/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 6-10-2010
1-4-2011	45%	95/293/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 30-3-2011

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

¹स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

- (क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,
- (ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,
- (ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,
- (घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,
- (ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,
- (च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

- (क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,
- (ख) अंशकालिक कर्मचारी,
- (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,
- (घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,
- (ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ—

- (क) “प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक” नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रभावी।

(ख) "आयुष" आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;

(ग) "परिवार" से अभिप्रेत है:—

(एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;

(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं;

(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;

(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो :

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णतः आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

(पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(घ) "चिकित्सालय" —

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(ङ) "चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय" से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

(च) "चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, सिविल सर्जन, चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी या आयुष सहायक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालयों के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (कैजुअल्टी मेडिकल ऑफीसर) और इसमें चिकित्सा

महाविद्यालय चिकित्सालय के अध्यापक संवर्ग के ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हैं, जो ऐसे महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करते हों;

- (छ) "विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा)" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक, जिसमें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा, में उल्लिखित रोगों का उपचार (चिकित्सा) और/या शल्य चिकित्सा (सर्जरी);
- (ज) "उपचार (चिकित्सा)" से अभिप्रेत है चिकित्सालय, जहां कर्मचारी का उपचार किया जा रहा हो, में उपलब्ध तथा प्रयुक्त समस्त चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा, सुविधायें और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

- (एक) रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टीरियोलॉजिकल), एक्स-रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग या ऐसे किसी अन्य निदान का उपयोग जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/परिचारक द्वारा आवश्यक समझा जाये;
- (दो) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीन), सिरम तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति, जो सामान्यतः चिकित्सालय में उपलब्ध हों;
- (तीन) ऐसा उपचार (चिकित्सा) जो सामान्यतः चिकित्सालय द्वारा अन्तः रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है;
- (चार) रुधिराधान (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन);
- (पाँच) परानील-लोहित प्रकाश (अल्ट्रा-वॉयलेट लाईट);
- (छः) सामान्य उपचर्या (जनरल नर्सिंग);
- (सात) डॉयलिसिस एवं हीमोडॉयलिसिस;
- (आठ) लिथोट्रिप्सी;
- (नौ) महिलाओं के मामलों में—
- (क) प्रसूति के दौरान उपचार, प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार;
- (ख) डूश देना (डूशिंग);
- (दस) पंचकर्म एवं क्षार सूत्र उपचार;
- (ग्यारह) ऐसी अन्य सुविधाएँ जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें।

3. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा उपचार—कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा उपचार/सेवा के लिये हकदार होगा।

4. मानसिक रोगी का उपचार—मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

5. उपचार एवं प्रतिपूर्ति—(1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार, निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास-मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमतः, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काउंटरसाईन) अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

6. प्रतिपूर्ति की सीमा—शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगा:—

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये—अधीक्षक/ उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
3.	5,001/- से 25,000/- तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
4.	25,001/- से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

- (2) अंतः रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;
- (3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक-एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

- (4) ऑक्सीजन देने में उपगत संपूर्ण व्यय;
- (5) रुधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;
- (6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल हैं, उपचार करवाने में उपगत संपूर्ण व्यय;
- (7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला संपूर्ण व्यय;
- (8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहाँ वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में संपूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;
- (9) शल्य चिकित्सा तथा रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टेरियोलॉजिकल), एक्स-रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग तथा अन्य जाँच/परीक्षण, जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक समझा गया हो और तदनुसार प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, पर उपगत संपूर्ण व्यय;
- (10) शासकीय सेवकों द्वारा एम्बुलेंस अथवा किसी अन्य वाहन के उपयोग के संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी;

(11) आवश्यक उपकरण जैसे कैलिपर, कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पट्टियाँ, गर्दन की कॉलर, श्रवण उपकरण आदि का व्यय पहली बार शासन द्वारा वहन किया जायेगा;

(12) पंचकर्म तथा क्षार सूत्र उपचार पर उपगत संपूर्ण व्यय।

7. उपचार की दर—निजी चिकित्सालय में अंतः रोगी के रूप में कराये गये निदान एवं उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति, केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएँ, नई दिल्ली द्वारा बी-1 श्रेणी के शहर हेतु समय-समय पर निर्धारित दरों अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक की जायेगी। जहाँ सुविधाओं की दरें केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा निर्धारित नहीं की गई हों, तो ऐसी दशा में राज्य शासन, दरें निर्धारित कर सकेगा।

8. चिकित्सा अग्रिम—(1) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु, इन नियमों के नियम 8 एवं नियम 9(3) के प्रावधानों के अंतर्गत, यथास्थिति, जिला सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए, कर्मचारी द्वारा संबंधित चिकित्सालय से प्राप्त व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) चिकित्सा अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जायेगा, जहाँ रोगी का उपचार, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंतः-रोगी के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो तथा प्रकरण में रिफरल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रुपये 30,000/- अथवा इससे अधिक और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में रुपये 15,000/- अथवा इससे अधिक के अनुमानित चिकित्सा व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।

(4) स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जायेगा।

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा, अन्यथा कर्मचारी के वेतन से देयक (बकाये) की वसूली का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(6) चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा कर्मचारी के आय के अन्य स्रोत से वसूल की जायेगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण, वास्तविक आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में कराई गई चिकित्सा (उपचार) पर लागू नहीं होगी।

9. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु रिफरल—(1) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के रोगों की जाँच/उपचार सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय/आयुष औषधालय, जिला आयुष चिकित्सालय में कराना होगा।

(2) उक्त केन्द्रों में वांछित सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में रिफर कर सकेंगे।

(3) चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जाँच उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे।

(4) स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ तथा पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) नीति के अंतर्गत संचालित संस्थाएँ शासकीय सेवकों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी, उक्त संस्थाओं में उपचार हेतु रिफरल की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालय भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय समझे जायेंगे।

(6) केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ ही फालो-अप उपचार हेतु मान्य होगी, इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार, सक्षम स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी।

(7) आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा, उपचार प्रारंभ करने से 48 घण्टों की समय-सीमा के भीतर यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक आयुष तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

10. कार्योत्तर स्वीकृति—(1) आकस्मिक परिस्थितियों में, राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के प्रकरण में, कार्योत्तर स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी। कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में, ऐसे प्रकरणों में उपचार में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण, कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षण करने के उपरांत, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को भेजे जायेंगे, जिनका निराकरण गुण/दोष के आधार पर करते हुए, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरण, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष की अनुशंसा से राज्य शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निराकरण के लिये भेजे जायेंगे।

(4) संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष, कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकेंगे।

(5) राज्य शासन स्तर पर कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:—

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | — अध्यक्ष |
| 2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा | — सदस्य |
| 3. संचालक, आयुष | — सदस्य |
| 4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ | — सदस्य |
| 5. वित्त विभाग का प्रतिनिधि
(जो उप सचिव की श्रेणी से निम्न का अधिकारी न हो) | — सदस्य |
| 6. दो, विषय विशेषज्ञ
(राज्य शासन द्वारा नामांकित) | — सदस्य |

11. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु निजी संस्थाओं को मान्यता—(1) राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थायें, कर्मचारियों के रोगों की जाँच/उपचार के लिये अपनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कराने हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित शुल्क के साथ विहित प्ररूप में, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को आवेदन कर सकेंगे।

(2) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन (आवेदनों) की सम्यक् जाँच (छानबीन) के पश्चात्, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा गठित एक समिति द्वारा उनका निरीक्षण किया जायेगा।

(3) राज्य शासन, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर, राज्य के भीतर/राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उच्च कोटि के उपचार की सुविधा की उपलब्धता पर विचार करते हुए विशिष्ट रोग (रोगों) के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सकेगा। ऐसी समिति की अनुशंसा उपरान्त राज्य शासन ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा—(1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, प्ररूप-एक में, व्यय किये जाने की तारीख के छः माह की अवधि के भीतर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु जहाँ कर्मचारी स्वयं ही नियंत्रण प्राधिकारी हो, वहाँ छः माह की कालावधि की गणना कोषाधिकारी को मांग प्रस्तुत किये जाने की तारीख के संदर्भ में की जायेगी।

(2) इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप-दो में आवश्यक

प्रमाण-पत्र तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किये गये नगद पत्रक (कैश मेमो) रसीदें, जो उपचार और कमरे के किराये के व्यय के भुगतानों से संबंधित हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे :

परन्तु जहाँ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियाँ, मेडिकल स्टोर्स डिपो की दर सूची से बाहर की हों, वहाँ ऐसे मामलों में, जहाँ वह स्वयं प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक न हो, आवश्यक प्रमाण-पत्र पर यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार कराये जाने पर, उसमें चिकित्सालय के नियंत्रक अधिकारी, संयुक्त संचालक-सह अधीक्षक/उप संचालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

13. उपचार का अभिलेख—प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में डायरी तथा ज्ञापन (मेमों) में, उसके द्वारा किये गये उपचार या जाँच की तारीख और स्थान के ब्यौरे रखेगा, जो उसके द्वारा प्ररूप-दो में दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर होगा।

14. दावों का निपटारा—(1) इन नियमों के अधीन, कर्मचारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की माँग का निराकरण, संबंधित आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा किया जायेगा।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, जो संबंधित कर्मचारी के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है, के द्वारा ऐसे देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। नियंत्रण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह चिकित्सा व्यय से संबंधित माँगों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व, उसका इस प्रकार सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लें कि माँग वास्तविक है और नियमों के अनुसार है और दावा किये गये व्ययों के समर्थन में आवश्यक नगदी पत्रक (कैश मेमो), रसीदें, प्रमाण-पत्र आदि संलग्न किये गये हैं। नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे दावों को अस्वीकृत कर सकेगा, जो नियमों के अनुसार न हो।

(3) उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में देय राशि का आहरण, प्ररूप-सी.जी.टी.सी. 24-ए पर किया जायेगा तथा आवेदक/दावाकर्ता को भुगतान योग्य होगा।

(4) चिकित्सा सेवा तथा उपचार से संबंधित व्यय, संबंधित प्रधान शीर्ष के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 01 “वेतन तथा भत्ते आदि” के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 015 “चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में” विकलनीय होगा, किन्तु कार्यभारित स्थापना के सदस्यों के मामले में, वह व्यय सीधे संबंधित कार्य के हिसाब से विकलनीय होगा।

15. कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के उपचार की सीमा—(1) ये नियम कर्मचारी के परिवार के सदस्यों पर उसी रीति/प्रक्रिया से और उसी सीमा तक लागू होंगे, जिस रीति/प्रक्रिया से और विहित सीमा तक वे कर्मचारी पर लागू होते हैं :

परन्तु जहाँ किसी कर्मचारी के तीन या अधिक जीवित बच्चे हों, वहाँ तीसरा बच्चा तथा अतिरिक्त बच्चा इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु ऐसे तीसरे बच्चे के 26 जनवरी, 2001 के पूर्व पैदा होने पर, वह भी इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय

चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा :

परन्तु यह और कि दूसरी प्रसूति की दशा में जुड़वा बच्चे पैदा होने पर, दोनों बच्चे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(2) कर्मचारी, प्रसूति के दौरान उपचार, (जिसमें प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार भी शामिल हैं), के लिए उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भी हकदार होगा :

परन्तु यदि ऐसे प्रसव की तारीख पर तीन या अधिक बच्चे जीवित हों, तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

16. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई पृच्छा/प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. शिथिलीकरण—सामान्यतः इन नियमों का शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा, किन्तु आपवादिक प्रकरणों में राज्य शासन को नियमों को शिथिल करने का अधिकार होगा।

18. नियमों में संशोधन करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर नियमों को संशोधित/उपांतरित कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

19. निरसन तथा व्यावृत्ति—इन नियमों के प्रभावशील होने पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 निरसित माने जाएँगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी कार्य या की गई कार्यवाही पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अधीन जारी स्पष्टीकरण/निर्देश/दिशा-निर्देश, इन नियमों में उसी सीमा तक लागू रहेंगे कि वे इन नियमों से असंगत न हों या वे इन नियमों के प्रतिकूल न हों :

परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पूर्व संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त मांगें, संबंधित कर्मचारियों पर लागू होने वाले पूर्व के नियमों द्वारा शासित होंगी।

अनुसूची-एक

(नियम 3(ज) देखिए)

1. सभी प्रकार की कैंसर व्याधियाँ,
2. सभी प्रकार के हृदय रोगों (ओपन हार्ट सर्जरी/बाईपास सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी विथ स्टेंट, एन्जियोप्लास्टी विदाऊट स्टेंट, इत्यादि),
3. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,
4. जटिल ऑर्थेलमिक सर्जरी,
5. न्यूरो-सर्जरी,
6. ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी,
7. ऐसे उपचार तथा/या सर्जरी, जो राज्य के शासकीय या मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, तथा जिसके लिये रोगी को राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में भेजा (रिफर किया) जाता है।

प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों की मान्यता बाबत :-

राज्य शासन, एतद्वारा, राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है :-

राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालय

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1.	बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बैरन बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Peadiatrics Treatment.
2.	श्री नारायणा हास्पीटल, देवेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Plastic & Cosmetic Reconstruction Surgery, (5) Peadiatrics, (6) Obst. & Gynec, (7) Ophthalmology, (8) Cardiology & (9) Urology.
3.	श्री मां शारदा आरोग्यधाम, डी.डी. नगर, रायपुरा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-Obst. & Gynec.
4.	रायपुर स्टोन क्लीनिक, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-Lithotripsy.
5.	फरिश्ता नर्सिंग होम, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Obst. & Gynecology, (2) Medicine
6.	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, होलीक्रास कापा स्कूल के सामने, अवंती बाई चौक, पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Medical Oncology & (3) Orthopedics. (As per Sanjeevani)
7.	रायपुर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality.
8.	किम्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology with Dialysis, (4) Burn & Plastic Surgery, (5) CTVS, (6) Obst. & Gynec, (7) Spinal Surgery, (8) Cardiology, (9) Onco Surgery & (10) Chemotherapy.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
9.	श्री बालाजी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रा.लि., सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Gen. Surgery, (4) Gen. Medicine, (5) Gastroentology, (6) Obst. & Gynec, & (7) Gen. Ophthalmology.
10.	धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, रायपुर रोड, धमतरी, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality.
11.	चन्दुलाल चन्द्राकर स्मृति हॉस्पिटल, नेहरूनगर चौक, जी.ई.रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Total Surgery, (2) Total Hip Joint Replacement, (3) Knee Joint Replacement, (4) Head Injury Requiring Operative Intervention, (5) Comatose Condition, (6) Spinal Surgery, (7) Post Puerperial Complications, (8) Injuries Caused by Industrial Accident, Handling Agriculture Machines, Bomb Blast and Natural Calamities.
12.	श्री मेडिशाईन हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, & (4) Obst. & Gynec.
13.	श्री बालाजी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Cardiology, (5) Obst. & Gynecology, & (6) CTVS.
14.	ओम नेत्र केन्द्र, पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Ophthalmic Treatment.
15.	यशवंत हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Orthopedical Procedures.
16.	नारायणा हृदयालय एम.एम.आई. लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Urology, (2) Neuro Surgery, (3) Cardiology, (4) CTVS, & (5) Nephrology.
17.	विद्या हॉस्पिटल एण्ड किडनी सेंटर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Nephrology & (2) Nephro Surgery.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
18.	श्री अरबिन्दो नेत्रालय, पचपेड़ी नाका, लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Ophthalmic Treatment.
19.	आशादीप हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, विजेता काम्पलेक्स के पास, पानी टंकी के सामने, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Orthopedic Procedure.
20.	वी.वाय. हॉस्पिटल, कमल विहार, सेक्टर-12, न्यू धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedics, (2) Surgery, (3) Neuro Surgery, (4) Urology, (5) Medicine, (6) Ophthalmology & (7) Radiology.
21.	भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर, फाफाडीह चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - Radiological Investigation.
22.	लाइफवर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, मेन रोड, समता कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality Facilities.
23.	अपोलो हॉस्पिटल, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Urology, (5) Onco Surgery, (6) Plastic Surgery, (7) Obst. & Gynecology, (8) Medical Oncology, (9) CTVS & (10) Cancer Treatment.
24.	मार्क हॉस्पिटल, ब्रिलियंट स्कूल केम्पस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Urology, (2) Surgical Speciality & (3) Nephrology.
25.	मुंदड़ा हॉस्पिटल, मंगला चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	For General Orthopedic Treatment.
26.	श्री बालाजी ट्रामा एण्ड सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल परिसर, कोसाबाड़ी, कोरबा, छत्तीसगढ़।	For Superspeciality Treatment.
27.	श्री रेटिना केयर सुपरस्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल के ऊपर, मेन रोड, शंकर नगर चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - Ophthalmic Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
28.	आर.एस. पॉलीक्लीनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, टाटीबंध, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Maternity & Obst & Gynecology.
29.	ओम हॉस्पिटल, एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedics/Treatment of Trauma, (2) Gen. Surgery, (3) Maxillofacial Surgery, (4) Burn & Plastic Surgery, (5) Medicine, (6) Paediatrics, (7) Obst. & Gynecology & (8) Neurology.
30.	श्री कृष्णा हॉस्पिटल, मेन रोड, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Nephrology, (3) Obst. & Gynecology, (4) Gen. Medicine, (5) Orthopedic/Trauma & (6) Dental & Maxillofacial Surgery.
31.	केयर एन क्योर सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पुराना प्रताप टॉकिज के पास, प्रताप चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Obst. & Gynecological & (2) Surgical Procedures & Emergencies.
32.	श्रीराम केयर हॉस्पिटल, अमेर रोड, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Cardiology, (3) Orthopedic & Trauma, (4) Obst. & Gynecology, (5) Gen. Medicine, (6) Gen. & Laproscopic Surgery, (7) ENT, (8) Paediatric, (9) Paediatric Surgery, (10) ICU, (11) Radiology & (12) Maxillofacial Surgery & Dental.
33.	न्यू कोरबा हॉस्पिटल, मंगलम विहार, कोसाबाड़ी, कोरबा, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic & (5) Paediatric.
34.	व्ही केयर सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जीटीबी प्लाजा, एयरटेल ऑफीस के बाजू, रिंगरोड-1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Oncology, (3) Onco-surgery, (4) Plastic & Cosmetic Surgery, (5) Urology, (6) Trauma & Emergency & (7) Knee & Joint Replacement.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
35.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, ग्राम-गोढ़ी, भानसोज, मंदिरहसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic, (5) Paediatric, (6) Radiology, (7) Neuro Surgery, (8) Skin & VD, (9) Ophthalmology & (10) Pathology.
36.	जैन डेंटल हॉस्पिटल, आरडीए काम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Dental Treatment.
37.	एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, शांति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Paediatric Treatment.
38.	राजधानी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एस.एस. टावर, पचपेड़ी नाका के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Orthopedic.
39.	माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एण्ड इंवेस्टीगेशन सेंटर, अनुपम नगर, टी.वी. टावर के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Obst. & Gynecology Treatment.
40.	अग्रसेन हॉस्पिटल, कृष्णा टॉकिज के सामने, रामनाथ भीमसेन भवन रोड, समता कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Gen. Orthopedic Surgery.
41.	संजीवनी सी.बी.सी.सी. यू.एस.ए. कैंसर हॉस्पिटल, जैन मंदिर के सामने, दावड़ा कालोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - For Cancer Treatment Only.
42.	जे.एल.एन. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-9, भिलाई।	Central Govt. Institute.
43.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर।	Central Govt. Institute.
44.	डॉ. के. गुरुनाथ हॉस्पिटल, प्लॉट नं. 9, प्रियदर्शनी परिसर, जी.ई. रोड, सुपेला, भिलाई - 490023	केवल हृदय रोग संबंधी उपचार हेतु (Only Cardiovascular Treatment)

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
45.	स्पार्इन एण्ड स्कीन क्लीनिक, एच-21, टी.व्ही. टावर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	केवल General Orthopedic उपचार हेतु
46.	aaRBe Institute of Medical Sciences, Swarnajayanti Nagar, Ring Road-2, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. General Surgery, 2. General Medicine, 3. Obst. & Gyneacology, 4. General Orthopedic, 5. Paediatrics and 6. E.N.T. उपचार हेतु
47.	अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, मदीना बिल्डिंग, जेल रोड, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	केवल डायग्नोसिस उपचार हेतु
48.	Shri Shankaracharya Institute of Medical Sciences, Junwani, Bhilai (Durg), Chhattisgarh-490020	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic, 4. Obst. & Gyneacology, 5. Ophthalmology, 6. Paediatrics and 7. E.N.T. उपचार हेतु
49.	Gupta Hospital, Multispeciality Research & Maternity Centre, Ratna Bandha Road, Dhamtari (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic एवं 4. Obst. & Gynecology उपचार हेतु
50.	Ganga Diagnostic & Medical Research, Centre (P) Ltd., Amrapali Society Gate, Oppt. NHMMI Hospital, Lalpur, Raipur (C.G.)	केवल 1. Radiology, 2. Pathological, 3. Biochemistry Investigations जाँच हेतु
51.	Sarwa Trauma Hospital, G.E. Road, Tatyapara, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. Orthopedic and, 4. Pathology उपचार हेतु
52.	डॉ. जाउलकर ईएनटी हॉस्पिटल, कंकाली तालाब के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-ENT.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
53.	कालडा कॉस्मेटिक सर्जरी एण्ड बर्न सेंटर, राजकुमार कालेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Plastic Surgery, (2) Orthopedic, (3) Neuro Surgery, (4) Poly Tauma, & (5) Acute Burn.
54.	श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, पहाड़ मंदिर के पास, कौहाकुन्दा, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Medicine, (5) Gen. Laproscopy Surgery, (6) Obst. & Gynec, (7) Anaesthesia, (8) Ophthalmology, (9) Pulmonology, (10) Pathology, (11) Paediatric, (12) Skin & VD, (13) ENT & (14) Dental.
55.	रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेडी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Cardiology, (5) Onco Surgery, (6) Urology Procedures & (7) CTVS.
56.	सुयश हॉस्पिटल, कोटा गुढ़ियारी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, & (3) Urology.
57.	विवेकानंद आई हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बूढ़ा तालाब गार्डन के पास, ब्रम्हपुरी मार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- OCT Investigation.
58.	ए.एस.जी.आई. हॉस्पिटल, प्रा.लि., शक्तिनगर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Ophthalmic Treatment.
59.	स्पर्श मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, श्रीराम मार्केट, सिरसा रोड, रामनगर, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Neurology & Neyro Surgery, (2) Cardiology, (3) Orthopedic & Joint Replacement, (4) Nephrology, (5) Urology & Uro Surgery, (6) Burn Plastic Surgery & Trauma Management. (As per Sanjivani Yojna)
60.	श्री शिशुभवन, ईदगाह रोड, मध्यनगरी चौक के पास, (प्रेस क्लब बिल्डिंग के सामने), बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Paediatric Medicine, (2) Paediatric Burn & Plastic Surgery, (3) Paediatric Neurology, (4) Paediatric Ortho-pedic, (5) Paediatric

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
		Surgery, (6) Paediatric ENT & Bronch-oscropy, (7) Paediatric Dermatology (As per Sanjivani Yojna).
61.	एम.जी.एम.आई. हॉस्पिटल, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality- Ophthalmic Treatment.
62.	उपाध्याय हॉस्पिटल, हर्षित टावर के पास, अर्जुन विहारं, महोबा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Orthopedics, (2) Obst. & Gynecology & (3) Gen. Medicine.
63.	सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड प्रसूति केन्द्र, दुबे कालोनी, पुलिस थाना के पास, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery & (2) Obst. & Gynecology.
64.	कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, कलर मॉल के पास, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Burn & Plastic Surgery, (2) Nephrology, (3) Urology, (4) Neuro Surgery, (5) Gen. Surgery, (6) Obst. & Gynecology, (7) Gen. Medicine & (8) Gen. Orthopedic.
65.	अपेक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड आईव्हीएफ सेंटर, आर.के. मल्टीप्लेक्स के बाजू, अटलचौक, चांटामुडा बाईपास रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Gen. Orthopedic.
66.	अग्रवाल हॉस्पिटल, आर.के.सी. काम्पलेक्स के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Obst. & Gynecology & (3) Gen. Orthopedic.
67.	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्स मॉल के सामने, न्यू धमतरी रोड, पचपेड़ी नाका, लालपूर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Ophthalmology Treatment.
68.	विशारद हॉस्पिटल, सुभाष स्टेडियम के सामने, मोतीबाग चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Orthopedic Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
69.	बी.एम. शाह हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्रीनगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic, (5) Paediatric, (6) Radiology & (7) Neurosurgery.
70.	महादेव सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा काम्पलेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Gen. Orthopedic, (5) Neuro Surgery & (6) Paeditric.
71.	आरोग्य हॉस्पिटल, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Surgery, (2) Obst. & Gynec, (3) Medicine, (4) Urology, (5) Neuro Surgery, (6) Plastic Surgery, (7) Oncology, (8) Anaesthesia, (9) Dental, (10) Radiology, (11) Physiotherapy, (12) Pathology, (13) Cardiology, (14) Nephrology, (15) Ophthalmology, (16) Gastro-enterology & (17) Orthopedic.
72.	फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, खरसियां रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Orthopedic Procedures, (3) Cardiology & (4) CTVS.
73.	Vinayak Netralaya, Near Agrasen Chowk, Link Road, Bilaspur (C.G.)	केवल सामान्य नेत्ररोग (General Ophthalmology Treatment) उपचार हेतु
74.	City Hospital & Research Centre, 1, Jalashaya Marg, Choubey Colony, Raipur (C.G.)	केवल General Medicine, Obst. & Gynecology उपचार हेतु
75.	Shri Sankalp Hospital, Near Sarona Railway Station, Before Salasar Green, Sarona Ring Road No. 1, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic, 4. Neuro Surgery, 5. Neurology, 6. Paediatrics, 7. Cardiothorasis Surgery, 8. Cardiology, 9. Urology, 10. Emergency & Trauma उपचार हेतु

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
76.	Star Children Hospital, Agrasen Chowk, Besides Hotel East Park, Bilaspur (C.G.)	केवल शिशुरोग उपचार की सुविधा हेतु
77.	Soni Multispeciality Hospital & Maternity Home, Bade Urla, Raipur Road, Abhanpur, Raipur (C.G.)	केवल प्रसूति एवं स्त्रीरोग उपचार सुविधा हेतु
78.	Makhija Hospital, Near Agrasen Chowk, Telephone Exchange Road, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. Paediatric Surgery, 2. Obstetric & Gynaecology उपचार हेतु
79.	Balco Medical Centre, Sector-36, Naya Raipur, PO-Uparwara, Raipur (C.G.)	All Types of Cancer Treatment सभी प्रकार के कैंसर रोग के उपचार हेतु
80.	Naman Hospital, (Dentofacial Trauma & Oral Cancer Care), Plot No.-24, Next to Fruit n Fruit Shop Turning Point Chowk, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)	केवल 1. Oral and Maxillofacial Surgery (Minor Oral Surgical Procedures under local Anaesthesia only) Not requiring post surgical admission for recovery, 2. Orthodontics and dentofacial Orthopaedics, 3. Prosthodontics and crown and bridge उपचार हेतु
81.	Petals Newborn & Children Hospital, Bhimsen Bhawan Marg, Samta Colony, Raipur (C.G.)	General Peadiatric Treatment सामान्य शिशु रोग उपचार हेतु
82.	Kanwar Nursing Home, T.V. Tower Road, Anupam Nagar, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology उपचार हेतु
83.	Ashirwad Laser Phaco Eye Hospital, IG Office Road, Behind Apex Bank, Nehru Chowk, Bilaspur (C.G.)	केवल Ophthalmic Treatment (नेत्ररोग संबंधी) उपचार हेतु

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 301

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
84.	Chandadevi Tiwari Hospital, Opposite City Kotwali, Bhatapara Road, Balodabazar (C.G.)	केवल 1. General Surgery, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. General Medicine उपचार हेतु
85.	Sanjivani Hospital & Research Centre, Ware House Road, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. Orthopedics & 4. Plastic Surgery उपचार हेतु
86.	Sunshine Multispeciality Hospital, Vasundhara Nagar, Bhilai-03, Charoda, Durg (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. General Surgery and 4. Peadiatric उपचार हेतु
87.	SRS Hospital In front of Shri Ganesh Vinayak Hospital, Near Muskan Residency, Pachpedi Naka, Raipur (C.G.)	केवल General Orthopedics उपचार हेतु

राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालय

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1.	सर गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060.	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
2.	स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 31, ऑफ चितले मार्ग, हितवाड़ा प्रेस के पीछे, धनतोली, नागपुर-440012.	For Heart Care Treatment.
3.	प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, धनश्री कर्मशियल काम्पलेक्स, होटल हरदेव के पास, सीताबुल्दी, नागपुर-440012	For Heart Care Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
4.	शेल्बी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं.-बी, स्कीम नं.-5, अहिंसा चौक, कचनार रोड, विजय नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।	(1) Orthopedic & Joint Replacement Surgery, (2) Cardiology, (3) CTVS and Paediatric Cardiac Surgery. As per NABH Facilities only.
5.	मेदांता द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुड़गांव, हरियाणा।	For Superspeciality Treatment. As per NABH Facilities only.
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	Central Govt. Institute.
7.	जी.बी. पंत हॉस्पिटल, नई दिल्ली।	Govt. Institute.
8.	बी.एच.यू. हॉस्पिटल, वाराणसी।	Govt. Institute.
9.	के.ई.एम. हॉस्पिटल, मुंबई।	Govt. Institute.
10.	बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई।	—
11.	जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
12.	बी.वाय.एल. नायर हॉस्पिटल, मुंबई।	Govt. Institute.
13.	टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई।	Govt. Sponsored Institute.
14.	नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई।	—
15.	श्री चित्रा तिरूणाल इंस्टीट्यूट, चेन्नई।	Govt. Institute.
16.	सी.एम.सी. वेल्लोर।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
17.	निजाम इंस्टीट्यूट, हैदराबाद।	Govt. Institute.
18.	पंडालिया कार्डियो-थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई।	—

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
19.	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
20.	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
21.	पी.जी.आई. लखनऊ।	Govt. Institute.
22.	सदर्न रेल्वे हॉस्पिटल, पेरामपुर।	Central Govt. Institute.
23.	एल.एन.जे.पी. हॉस्पिटल, नई दिल्ली।	Govt. Institute.
24.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।	केवल National Accreditation Board
25.	बत्रा हॉस्पिटल, नई दिल्ली।	Hospital & Healthcare Providers
26.	अपोलो हॉस्पिटल, हैदराबाद।	(NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
27.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	—
28.	लीलावती हॉस्पिटल, मुम्बई।	केवल National Accreditation Board
29.	मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा, दिल्ली।	Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
30.	मेडविन हॉस्पिटल, हैदराबाद।	—
31.	चोईथराम हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।	केवल National Accreditation Board
32.	यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद।	Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
33.	फोर्टिस एण्ड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पिटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखायें)	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
34.	मैक्स देवकी हार्ट एण्ड वास्कुलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखायें)	
35.	प्राईमस (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल), चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।	
36.	मैक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 1-प्रेस इन्क्लेव रोड, साकेत, प्रतापगंज, इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली।	
37.	Meditrina Institute of Medical Science, 278, Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur- 440010	
38.	Apollo Hospitals, Health City, Arolova, Chinagadhili, Vishakhapatnam (A.P.)	केवल 1. Cardiology, 2. Cardio- thoracic-surgery, 3. Orthopedic & Joint Replacement, 4. Emergency & Critical Service, 5. Trauma Care, 6. General Medicine, 7. Laposcopic Surgery, 8. Urology, 9. Nephrology, 10. Neuro Surgery, 11. Plastic & Cosmetic Surgery, 12. Medical & Surgical Gastroenter- erology and 13. Organ Transplant उपचार हेतु

2. राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घंटे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3. राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच/उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घंटे की समय-सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4. उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

5. उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

[चिकित्सा शिक्षा विभाग क्र. एफ 16-01/2019/नौ/55-4, दिनांक 30-05-2019]

छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के बाहर अवस्थित अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत :-

यतः अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, चाहे वे संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत हो या राज्य के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकारों और नियत पात्रताओं को शासित करते हैं और उनमें एकरूपता का उपबंध करते हैं :

यतः राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि उक्त नियमों के नियम 12 (क) के उपबंधों के परिणामस्वरूप संघ के कार्यों के लिए सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकार और नियत पात्रताएं, प्रभाव में वे हैं जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त हैं (सिवाय उन स्थानों में जो योजना के अंतर्गत न हो):

यतः अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का उनकी सेवा की प्रकृति के कारण, देश में कहीं भी सेवा करनी होती है, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती की नीति के कारण उनमें से अधिकांश उस राज्य के बाहर से लिये जाते हैं जिसके संवर्ग पर वे धारित हैं :

यतः उक्त तथ्यों व उनकी सेवा के अन्य विशिष्टता के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और या उनके परिवार के सदस्यों (जिसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं) को, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करते हुए भी राज्य के बाहर अवस्थित अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारकों में सम्मिलित हैं उपचार और चिकित्सा परिचर्या में निरन्तरता, संवर्ग वापसी पर परिवार के किन्हीं सदस्यों के द्वारा

बाहर बने रहना (जिसके लिए शैक्षिक और चिकित्सकीय आधारों पर सरकारी आवास के केंद्र सरकार के विद्यमान नियमों में उपबंध हैं), अधिवार्षिकी के संदर्भ में उनके गृह राज्य में पुनः बसना और बैठकों, सम्मेलनों, अनिवार्य और ऐच्छिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं, बच्चों की देखरेख और मातृत्व अवकाश की अवधियां, अध्ययन अवकाश, निर्वाचन ड्यूटी, गृहनगर यात्राओं आदि के लिए राज्य के बाहर रहना :

यतः छत्तीसगढ़ राज्य में न तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और न ही कोई तुलनीय योजना संचालित है और ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं के मामले में संघ और छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा में विषमता है :

यतः राज्य सरकार पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के उपबंधों के आधारभूत सिद्धांत से सहमत हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य को स्थानान्तर के फलस्वरूप, ऐसे चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों के साथ सेवा नहीं करनी होगी, जो उनसे निम्नतर है जिनके लिए वह अन्यथा पात्र हो और वह यह दृष्टिकोण रखती है कि राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करने में सेवा शर्तों में ऐसी विषमता वांछनीय नहीं है :

अतः अब छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों (उनके परिवार के सदस्यों सहित) के लिए पूर्वोक्त नियमों के अंतर्गत उनकी चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं में गिरावट लाए बिना, सेवा शर्तों में पूर्वोक्त विषमता को कम करने के दृष्टिकोण से, राज्य शासन एतद् द्वारा व्यवस्थाएं स्थापित करता है :—

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए देश के किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में नियमित आधार पर नियोजित समस्त चिकित्सकों को प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (Authorized Medical Attendant) नियुक्त किया जाता है।
- (2) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत प्रावधानित "मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी" (Chief Administrative Medical Officer) के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु एलोपैथिक पद्धति से उपचार के मामले में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य पद्धतियों से उपचार के मामलों में संचालक आयुष को एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपचार के मामले में छत्तीसगढ़ आवासीय आयुक्त की पदस्थापना के अंतर्गत पदस्थ चिकित्सक को अधिकृत किया जाता है। परन्तु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जाएगा।

(3) "अस्पताल" पद के अभिप्राय और वहाँ प्राप्त उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी उपबंध को एतद द्वारा निम्नानुसार स्पष्ट और परिवर्धित किया जाता है :—

अस्पताल से अभिप्रेत है कोई भी अस्पताल (जिस पद में उपचार उपलब्ध कराने वाला किसी भी नाम से निर्दिष्ट कोई भी संस्थान या केंद्र सम्मिलित होगा) जो :—

- (क) छत्तीसगढ़ सरकार, या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, या भारत सरकार द्वारा स्थापित हो, या
 - (ख) छत्तीसगढ़ सरकार या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रदत्त धनराशि से पूर्णतः अथवा प्रधानतः वित्त पोषित हो या
 - (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 3) की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय, या उक्त अधिनियम के धारा 3 के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय माने गए किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णतः अथवा प्रधानतः वित्त पोषित या उसकी घटक इकाई हो, या
 - (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णतः अथवा प्रधानतः वित्त पोषित हो, या
 - (ङ) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का क्रमांक 10) की धारा 3 में यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णतः अथवा प्रधानतः वित्त पोषित हो, या
 - (च) अन्य कोई अस्पताल जिसके साथ अपने अधिकारियों के उपचार के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की हो, या
 - (छ) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा संस्थान।
 - (ज) अन्य कोई भी ऐसा अस्पताल जहाँ प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक के द्वारा परिचर्या अथवा उपचार हेतु संदर्भित (refer) किया जाए।
- (4) अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा (परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत अधिकारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को परिचर्या तथा उपचार पर उपगत सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता है परन्तु यदि उपचार किसी ऐसे अस्पताल में कराया जाता है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ शासन ने C.G.H.S. की दरों पर उपचार हेतु अनुबंध किया हो तो ऐसे प्रकरण में C.G.H.S. की दरों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (5) प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयक के साथ सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (A.M.A.) द्वारा जारी किया गया आकस्मिकता प्रमाण पत्र (Essentiality

Certificate) तथा चिकित्सकीय सलाह व व्हाउचर एवं कैश मेमो मूलतः संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

यदि किसी अधिकारी के परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य किसी राज्य में निवासरत है तब उन्हें उपचार हेतु संदर्भित करने के पूर्व प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (AMA) को मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि ऐसे सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) द्वारा देयकों के सत्यापन उपरांत ही की जाएगी। परन्तु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जायेगा।

- (6) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के क्रियान्वयन के संबंध में उक्त अधिसूचना दिनांक 04-04-2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

[सा.प्र.वि. क्र. ई 10-01/2014/एक/2, दिनांक 26-06-2014]

नोट : कृपया विस्तृत जानकारी के लिए इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, रायपुर द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 लेखक डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता का अवलोकन करें।

1. **उद्देश्य** - यह योजना शासकीय कर्मचारियों को कम लागत पर तथा अंशदायी और स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर परिवारों की सहायता के लिए बीमा सुरक्षा तथा सेवा-निवृत्ति पर उनके परिवारों की सहायता के लिए एक मुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करने के लिए आशयित है।

2. **प्रयुक्ति** - यह योजना मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों (अपवादों के साथ) पर लागू होती है। (अब छत्तीसगढ़ राज्य में)

3. **बीमा निधि तथा बचत निधि** - इस योजना के अंतर्गत दो निधियाँ हैं :- अभिदान का एक भाग बीमा निधि में तथा शेष भाग बचत निधि में जमा किया जाता है।

4. **प्रभावशीलता** - समूह बीमा एवं परिवार कल्याण निधि योजना दिनांक 1-7-85 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए लागू की। इसके पूर्व परिवार कल्याण निधि योजना, 1974, दिनांक 1-11-74 से प्रभावशील थी। जिन्होंने समूह बीमा योजना का चयन नहीं किया है, उनके विकल्प देने की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाई गई है। उक्त विकल्प के आधार पर जुलाई 2003 से विकल्प की तिथि तक बकाया अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष-8011 बीमा और पेंशन निधियाँ - 105 - राज्य सरकार बीमा निधि में तत्काल जमा कर मूल चालान की प्रति कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही विकल्प मान्य होगा। [वि.वि.क्र. 49/322/वि/नि/चार/2003, दिनांक 15-1-2004]

5. **सदस्यता** - (1) समूह बीमा योजना सन् 1985 से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू की गई है। जिन्होंने इस योजना के अधिसूचना के बाद शासन की सेवा में आये हैं या अधिसूचना के जारी होने के बाद शासकीय सेवा में आये समस्त कर्मचारी योजना के अगले वर्ष-दिवस को अनिवार्यतः इसके सदस्य बनेंगे।

(2) योजना के सदस्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमांक 2 में नामांकित तारीख को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती से सूचना दी जाएगी। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाएगी। जो चार प्रतियों में बनाई जाएगी। एक प्रति शासकीय सेवक को एक प्रति संचालक, जीवन बीमा विभाग, खालियर को एवं एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकायी जाएगी। [योजना का नियम 4(4)]

(3) योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा में प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से बीमा सुरक्षा प्रीमियम (अंशदान की राशि का 30%) काटा जाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मृत्यु की दशा में समुचित बीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। [योजना का नियम 6]

6. योजना में अंशदान - दिनांक 1-7-85 से -

- (i) चतुर्थ वर्ग रु. 30/- प्र.मा. (iii) द्वितीय वर्ग रु. 60/- प्र.मा.
(ii) तृतीय वर्ग रु. 50/- प्र.मा. (iv) प्रथम वर्ग रु. 80/- प्र.मा.

7. अंशदान की दर में वृद्धि - दिनांक 1-7-90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा रक्षण की दर में 50% की वृद्धि की गई है। इस बढ़ी हुई दर का विकल्प दिया जाना अनिवार्य था। विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि 31-5-90 तक थी। यदि किसी ने विकल्प नहीं दिया है तो वृद्धि दर उसे अनिवार्य रूप से लागू होगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनः अंशदान की दर में 50% की वृद्धि कर क्रमशः रु. 60/-, रु. 100/-, रु. 120/- एवं रु. 160/- मासिक अंशदान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस योजना के अधीन एक कर्मचारी कितनी इकाईयों में अंशदान करेगा, कितनी राशि बीमा एवं बचत निधि में जमा होगी तथा द्रेय बीमा राशि कितनी होगी, के लिये निम्न तालिका देखें -

(1) दिनांक 1-7-85 से रु. 10/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र.	श्रेणी	समूह	इकाई	अभिदान प्रतिमाह	बीमा सुरक्षा निधि	देय बीमा राशि	देय बचत निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रथम	अ	8	80/-	31.25%	80,000/-	68.75%
2.	द्वितीय	आ	6	60/-	"	60,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	50/-	"	50,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	30/-	"	30,000/-	"

(2) दिनांक 1-7-90 से रु. 15/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र.	श्रेणी	समूह	इकाई	अभिदान प्रतिमाह	बीमा सुरक्षा निधि	देय बीमा राशि	देय बचत निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रथम	अ	8	120/-	30%	1,20,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	90/-	"	90,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	75/-	"	75,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	45/-	"	45,000/-	"

(3) दिनांक 1-1-96 से रु. 20/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र. (1)	श्रेणी (2)	समूह (3)	इकाई (4)	अभिदान प्रतिमाह (5)	बीमा सुरक्षा निधि (6)	देय बीमा राशि (7)	देय बचत निधि (8)
1.	प्रथम	अ	8	160/-	30%	1,60,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	120/-	"	1,20,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	100/-	"	1,00,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	60/-	"	60,000/-	"
5.	दिनांक 1-7-2003 से लागू दर छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी बीमा योजना, 2003 में वर्णित है।						

विषयांतर्गत योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जुलाई, 2003 से लागू है। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरांत शासन ने उक्त दरों में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रूपये 60 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है :-

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह		बीमा राशि	
		1-7-2003 से 30-6-2016 तक	1-7-2017 से	1-7-2003 से 30-6-2016 तक	1-7-2017 से
ए	प्रथम	रु. 240	रु. 480	रु. 2,40,000	रु. 4,80,000
बी	द्वितीय	रु. 180	रु. 360	रु. 1,80,000	रु. 3,60,000
सी	तृतीय	रु. 150	रु. 300	रु. 1,50,000	रु. 3,00,000
डी	चतुर्थ	रु. 90	रु. 180	रु. 90,000	रु. 1,80,000

2. पूर्व के भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जायेगा।

3. दिनांक 1-7-2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़ी हुए दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य हैं, ऐसे

शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किये जाने के बाद सेवा में आते हैं वे भी अनिवार्य रूप से 1 जुलाई, 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात् सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्य भार संभालने की तारीख से 30 जून, 2017 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जायेगा।

4. राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य हैं।

[वित्त विभाग क्र. 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-05-2017]

8. बचत राशि पर ब्याज - कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा में नहीं रहने पर, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना में बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है।

ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित है :-

1-1-1987 से 31-12-2000 तक	—	12%
1-1-2001 से 31-12-2001 तक	—	11%
1-1-2002 से 31-12-2002 तक	—	9.5%
1-1-2003 से 31-12-2003 तक	—	9%
1-1-2004 से 30-11-2011 तक	—	8%
1-12-2011 से 31-12-2016 तक	—	8.6%

[वित्त विभाग क्र. 319/एल-5-1/12/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 22-6-2012]

1-1-2017 से 31-3-2017	—	8.0%
-----------------------	---	------

[वित्त विभाग क्र. 1757/00121/संसा/ब-4/चार/2016, दिनांक 22-2-2017]

1-7-2017 से 30-9-2017	—	7.8%
-----------------------	---	------

[वित्त विभाग क्र. 579/00121/संसा/ब-4/चार/2017, दिनांक 26-7-2017]

ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि संगणित होगी।

9. अंशदान की वसूली - (1) किसी सदस्य का अंशदान उस माह की 1 तारीख को सामान्य कार्य दिवस के प्रारंभ होने पर देय होगा।

(2) अंशदान सेवा में नियुक्ति की तारीख से और बाद में प्रत्येक माह की तारीख 1 को सामान्य कार्य दिवस के प्रारंभ होने पर देय होगा।

(3) अंशदान का संग्रह प्रतिमाह की जायेगी चाहे उस माह वह योजना का सदस्य नहीं रहा हो।

(4) इसमें प्रतिमाह अंशदान जमा करना अनिवार्य है। यदि सदस्य किसी माह अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो उस अवधि का अंशदान आगामी माह के वेतन से चालू माह के अंशदान के साथ ब्याज सहित वसूल कर लिया जायेगा।

10. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति पर - यदि किसी कर्मचारी की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति होती है तो अंशदान की दर आगामी वर्षगांठ में बढ़ा दी जाएगी तथा जिसकी सूचना फार्म GIS-3 पर दी जावेगी।

11. लेखा संधारण - कार्यालय प्रमुख को फार्म GIS-9 का रजिस्टर रखना चाहिए। कटौती राशि की प्रविष्टि सामान्य भविष्य निधि के पास बुक में की जानी चाहिए।

12. योजना से लाभ - शासन की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में बीमा का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जमा राशि भी ब्याज सहित वापस प्राप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त कर्मचारी परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 का भी सदस्य रहा हो तो दिनांक 30-6-85 तक उक्त योजना में जमा राशि शासकीय अंशदान तथा 1-7-85 से ब्याज गणना कर वापस की जावेगी।

“छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 2003”

यह योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू हैं। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरान्त शासन के उक्त दरों में दिनांक 1 जुलाई, 2003 से 50% वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रुपये 30 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 1 जुलाई, 2003 (जून 2003 का वेतन जुलाई 2003 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है :-

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रु. 240	रु. 2,40,000
बी	द्वितीय	रु. 180	रु. 1,80,000
सी	तृतीय	रु. 150	रु. 1,50,000
डी	चतुर्थ	रु. 90	रु. 90,000

2. पूर्व की भाँति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30% भाग बीमा निधि और शेष 70% भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके

(3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(4) असाधारण अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।

(5) उस व्यक्ति के मामले में जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) लागू है, अर्जित अवकाश को छोड़कर, अवकाश अवधि में देय अवकाश वेतन में से उक्त अधिनियम के अंतर्गत तत्स्थानी अवधि के लिये स्वीकार्य लाभ की राशि कम कर दी जायेगी।

(6) (क) शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, के प्रकरण में, यदि, पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश से अधिक होता है, तो अवकाश वेतन का आवश्यक समायोजन किया जायेगा, यदि कोई अधिक आहरण हो।

(ख) जहाँ शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये अवकाश की मात्रा, नियम 26 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन जमा हुये अवकाश से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।

(7) शासकीय सेवक जिसे पुनर्नियोजन अवधि के दौरान अर्जित किया गया अवकाश स्वीकृत किया गया है, ऐसे अवकाश अवधि के लिये इस नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन का पात्र होगा, जिसमें से पेंशन एवं के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ की राशि को घटाया जायेगा।

37. अवकाश वेतन का आहरण — इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन का आहरण भारत में रुपये में किया जायेगा।

अध्याय - पांच — अध्ययन अवकाश से अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवकाश

38. प्रसूति अवकाश — ¹[(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्पूर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसके अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।]

(2) ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा।

(3) प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25-05-2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतम पैंतालीस दिन की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

38-क. पितृत्व अवकाश — (1) किसी पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(3) पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(4) यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।

टीप — इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

38-ख. दत्तक ग्रहण अवकाश — (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी।

(2) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(3) दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिये गये बच्चे की उम्र को कम करते हुए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा।

[38-ग. संतान पालन अवकाश]—(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि की संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

1. वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4-10-2018 द्वारा जोड़ा गया।

राय में वह नियोग्यता अपवादिक प्रकृति की होनी चाहिए; तथा (तीन) यह कि, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि अंशतः इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा, आच्छादित हो, तथा अंशतः अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष नियोग्यता अवकाश की मात्रा 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

40-क. विशेष नियोग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति — नियम 39 एवं 40 के अधीन विशेष नियोग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

41. विशेष नियोग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश मंजूर करने की शक्ति — (1) विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में विशेष नियोग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग, अवकाश स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को पदांकित कर सकता है तथा वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि ऐसे प्राधिकारी कितनी सीमा तक एवं किन शर्तों के अधीन अवकाश स्वीकृति कर सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) में उल्लेखित के अलावा, अवकाश के सभी मामले, प्रशासकीय विभाग को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

अध्याय - छ: — अध्ययन अवकाश

42. अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें — (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसकी उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) अध्ययन अवकाश निम्न हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है —

(एक) ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा को लोकहित की दृष्टि से शासन के लिये निश्चित लाभ का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल न भी हुआ हो; और

(दो) लोक प्रशासन के स्वरूप या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनों के लिए निम्न शर्तों के अधीन कि —

(क) विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन-यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए; और

(ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अपनी वापसी